संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल,दिनांक:- 4/10/2023

क्रमांक 4656/टीसी/29/देवास/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **देवास** विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	कालूखेडी तहसील देवास नगर जिला देवास	154/2, 155 एवं 154/411	**3.8130**	**3.8130**	औद्योगिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित देवास विकास योजना, 2031 के प्रस्तावित मुख्य मार्ग (एम.आर.-13) की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान स्टेशन मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर है अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा।
3. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 तथा उर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा।
4. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा मे स्थित नाले की सीमा से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, **2012** एवं देवास विकास योजना, **2031** के प्रावधानों के अन्तगर्त पर्याप्त खुली भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
5. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म**0**प्र**0** भूमि विकास नियम, **2012** एवं देवास विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx